फर्द अहकाम

(नियम–26)

2022/393

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम नावां (डीडवाना–कुचामन)

वादी
देवीलाल

बनाम

प्रतिवादीगण
कैलाश वगैरह

किस्म प्रकरण : प्रा. पत्र

संख्या –217 / 2021

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
16.10.2024	वकील प्रार्थी गैर हाजिर। वकील प्रार्थी एवं पक्षकारान को बार–बार आवाजे लगवाई गई। बावजूद सूचना तारीख पेशी एवं आवाजे लगाने पर भी वकील प्रार्थी एवं पक्षकारान उपस्थित नहीं आये। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज दिनांक 18.10.2022 से अप्रार्थीगण की तलबी में लम्बित चल रहा है। वकील प्रार्थी को अप्रार्थीगण की तलबी हेतु अनेक अवसर दिये गये है तथा दिनांक 14.09.2023 को अप्रार्थीगण की तलबी कराने हेतु वकील वादी को हिदायत दी गई। परन्तु वकील प्रार्थी द्वारा न्यायालय आदेश की पालना आदिनांक तक नहीं की है। अतः प्रकरण हाजा में बावजूद तारीख पेशी सूचना एवं बार–बार आवाजे लगाने पर भी वकील प्रार्थी एवं पक्षकारान के उपस्थित नहीं आये। इसी प्रकार वकील प्रार्थी को अप्रार्थीगण की तलबी हेतु सीपीसी नियमों के प्रावधान अनुसार पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी अप्रार्थीगण की तलबी पेश नहीं की है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 आर.टी.एक्ट 1955 अप्रार्थीगण की तलबी कराने पर प्रदत्त न्यायालय आदेश की पालना नहीं किये जाने से मूल वाद के खारिज हो जाने पर तथा प्रकरण हाजा पोषणीय नहीं रहने से प्रार्थना पत्र इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। प्रकरण अपने नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना-कुचामन)	